भिलाई शहर में गंदगी फैलाने वालो पर 4300 रूपये की चालानी कार्यवाही

भिलाईनगर। भिलाई शहर को स्वच्छ एवं सुन्दर बनाने निगम के अधिकारी, कर्मचारी एवं सफाई कर्मी लगातार युद्व स्तर पर कार्य कर रहे है। प्रतिदिन कर्मचारी अलग-अलग जोन क्षेत्र के साफ-सफाई व्यवस्था को व्यवस्थित करने में जुटे है। साथ ही सिंगलयुज प्लास्टिक प्रतिबंधित होने के बाद भी कुछ लोगो द्वारा इसका उपयोग किया जा रहा है। आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय के निर्देश पर स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली पांचो जोन के सहायक स्वास्थ्य अधिकारियों को जांच करते हुए कार्यवाही करने निर्देशित किए है। जोन 01 नेहरू नगर के स्वास्थ्य अधिकारी अंकित सक्सेना अपनी टीम के साथ वार्ड क्रं. 17 आकाश गंगा सुपेला में प्रतिष्ठान, फल ठेला में सिंगलयूज प्लास्टिक एवं गिला-सुखा कचरा अलग-अलग नहीं रखने वालो की जांच किए है। जांच में पाया गया कि प्रतिष्ठान, फल ठेला संचालकों द्वारा सिंगलयूज प्लास्टिक का उपयोग करते हुए ग्राहकों को सामग्री डालकर बेचा जा रहा है। आदर्श सर्विस पेट्रोल पम्प में बाथरूम का साफ-सफाई ठीक नहीं रखने के कारण 2000 रूपये एवं यशवंत साहू टी स्टाल 400, वर्मा टी स्टाल नास्ता सेंटर 100, ओम स्व सहायता समूह नास्ता सेंटर 200, देवगढ़ स्व सहायता समूह नास्ता सेंटर 200, भीष्म देवांगन होटल 1200 तथा सांइ जूस कार्नर से 200 इस प्रकार कुल 4300 रूपये की चालानी कार्यवाही करते हुए प्लास्टिक को जप्त कर रसीद काटकर दिया गया। कार्रवाई के दौरान कमलेश द्विवेदी स्वच्छता निरीक्षक एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।